



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट –थाना कमालगंज

दिनांक :- 19.10.2024

**थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 171/2024 धारा 303(2)/  
317(2)BNS में नामजद/वांछित 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी अमृतपुर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 171/2024 धारा 303(2)/ 317(2)BNS से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. सोमू उर्फ पतन्ना पुत्र मंशाराम निवासी कुण्डपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ 2. सनोज पुत्र अमितराम उर्फ धुन्दी निवासी आजाद नगर भटपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगणों की निशादेही पर एक भैंस बरामद की गयी ।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सोमू उर्फ पतन्ना पुत्र मंशाराम निवासी कुण्डपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ।
2. सनोज पुत्र अमितराम उर्फ धुन्दी निवासी आजाद नगर भटपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 14.08.2024 को वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम कुण्डपुरा थाना अरबल जिला हरदोई द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तगणों द्वारा वादी की 02 भैंस चुरा ली है। वादी की लिखित तहरीर के आधार के सम्बन्ध में थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 171/2024 धारा 303(2)BNS बनाम 01. सनोज पुत्र धुल्ली उर्फ गीतम निवासी गांधी नगर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ 02. चेला पुत्र कश्मीर 03. दीपक पुत्र गोपाल 04. सोमू उर्फ पतन्ना पुत्र मंशा निवासीगण कुण्डपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 1.सोमू उर्फ पतन्ना पुत्र मंशाराम निवासी कुण्डपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़, 2. सनोज पुत्र अमितराम उर्फ धुन्दी निवासी आजाद नगर भटपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण सोमू उर्फ पतन्ना व सनोज की निशादेही पर 01 भैंस बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)BNS की बढोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **पूछताछ का विवरण ---**

अभियुक्त सोमू उर्फ पतन्ना उपरोक्त व सनोज उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब गलती हो गयी है माफ कर दीजिये। शेष सफाई हम अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देंगे।

### **अभियुक्त सोमू उर्फ पतन्ना का आपराधिक इतिहास :-**

- 1- मु0अ0सं0 171/2024 धारा 303(2)/ 317(2)BNS थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।
- 2- मु0अ0सं0 215/2024 धारा 303(2) B.N.S थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।
- 3- मु0अ0सं0 623/2024 धारा 35 बीएनएसएस/317(2) बीएनएस कोतवाली गुरसहायगंज जनपद कन्नौज ।

### **अभियुक्त सनोज पुत्र अमितराम उर्फ धुन्दी का आपराधिक इतिहास :-**

1. मु0अ0सं0 171/2024 धारा 303(2)/ 317(2)BNS थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

### **बरामदगी का विवरण :-**

1. एक भैंस ।

### **गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम :-**

1. उ0नि0 श्री शिव कुमार
2. हे0का0 संजीव गौतम
3. का0 अर्जुन सिंह

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**

**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**थाना मेरापुर**

**दि- 19.10.2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राहुल पुत्र रामआसरे निवासी नौली थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 132/2016 वाद सं०- 37/2016 धारा- 323,324,354, भा०द०वि० 8 पाक्सो एक्ट थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि० के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररिं के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.10.2024 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट कोर्ट फरू० द्वारा अभि० को दोषसिध्द कर 04 वर्ष का कारावास व 53 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



एडीजीसी - श्री प्रदीप कुमार



कोर्ट मोहररिं हे०का० राजेन्द्र कुमार



पैरोकार हे०का० विक्रम सिंह